

28/11/18

प्रार्थी की ओर से यह इजराय श्री हरि शंकर मेधावल  
 .... एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया दर्ज रजिस्टर हो । तहसीलदार  
 दीगोद को पत्र लिखा जावे कि मि० न. 84/18 उनवान वेष्टार  
खानम मखार में निर्णय दिनांक 23/08/18 को हो चुका है  
 उक्त उनवान में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इजराय की  
 पालना की जावे । पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट दिनांक 14/12/18 को  
 पेश हो।

14/12/18

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी  
 उपस्थित । पीठासीन अधिकारी के सजकार्य अख्यार  
 में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं  
 हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक-----  
11.1.19 को

पेश हो

11.1.19

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी  
 उपस्थित । पीठासीन अधिकारी के सजकार्य  
 में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं  
 हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक-----  
1.2.19 को

पेश हो

1.2.19

पत्रावली पेश हुई प्रकरण में नामा सं. 394 दि.  
28.1.2019 से पालना ले चुकी है। विषय पालना  
 रिपोर्ट तहसीलदार दीगोद से दि.30.1.2019  
 को प्राप्त ले चुकी है। अतः पत्रावली में अब  
 कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। परिणामतः  
 पत्रावली फसल शुमार वेडर दाखिल दफ्तरे में